स्थानिक आयुक्त कार्यालय
बिहार भवन, नई दिल्ली।

प्रेषक

दिनांक : 30-07-21

स्थानिक आयुक्त के सचिव
बिहार भवन नई दिल्ली।

सेवा में ,

लेखापदाधिकारी
बिलिंग अनुभाग
C.N. Center
अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान
अंसारी नगर , नई दिल्ली।

विषय. मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में ।
महाशय ,

उपर्युक्त विषय मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से स्थानिक आयुक्त कार्यलाय द्वारा चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिय कॉलम (5) में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

SL.NO	Name of patient & Adress	Disease	Hospital	Amount	Amount in words
1	Nayak Bharti , S/o. Manoj kr Bharti, Vill: Bagnochi, Po. Chakla, Dist : Darbhanga, UHID NO : 105431023	Brain disease	AIIMS	33500	Thirty Three Thousnad Five Hundred Only.

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 33500/– (तैंतीस हजार पॉच सौ रुपये) के भुगतान के लिय आपके संस्थान अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता संख्या **3004733012**, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अशोका होटल, चाणक्यापुरी नई दिल्ली के क्रास चेक स0 **141208** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान अस्पताल के खाता स0 **10874584258**, खाता धारक का नाम – AIIMS NEURO SURGERY PATIENT'S ACCOUNT बैंक का नाम – स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, खाता का प्रकार – चालु, शाखा का नाम– अंसारी नगर, नई दिल्ली, RTGS/IFSC कोड सं0 – SBIN0001536, में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र / छद्म नाम/ अथवा गलत तरीके से प्राप्त की गयी राशि को संबधित मरीज उनके अभिभावक/ उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

MAMTA SHREE OJHA
Secretary to Resident Commissioner
Cum-Liaisoning Officer
Bihar Bhawan, New Delhi

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्थानिक आयुक्त कार्यालय, बिहार भवन को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करना सुनिश्चित करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को वापस किया जाय।

6. आपके संस्थान को स्वीकृत राशि ससमय उपलब्ध हो जाती है। संस्थान द्वारा मरीजों से स्वीकत्यादेश की प्रति मांगी जाती है जो कि अनावश्यक एवं चिन्ता जनक है। स्वीकत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकत्यादेश के तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय।

7. मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गई है इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिया प्रमाण पत्र में किया जाना है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय बार बार प्राक्कलन निर्गत नही किया जाय। इससे वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी । इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

30/7/21

(ममता श्री ओझा)

स्थानिक आयुक्त के सचिव।
बिहार भवन, नई दिल्ली ।

ज्ञापांक (५)

दिनांक 30-07-21

प्रतिलिपि – शाखा प्रबंधक, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अशोका होटल, चाणक्यापुरी नई दिल्ली को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 **141208 की** कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका 2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय ।

30/7/21

स्थानिक आयुक्त के सचिव।

ज्ञापांक (५)

दिनांक 30-07-21

प्रतिलिपि – आई0 टी0 मैनेजर, बिहार भवन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30/7/21

स्थानिक आयुक्त के सचिव।

MAMTA SHREE OJHA
Secretary to Resident Commissioner
Cum-Liaisoning Officer
Bihar Bhawan, New Delhi